



चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 29.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमैन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारीयां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनांक 29.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को अवैध तमचे व कारतूसों साथ तथा 01 अभियुक्त को 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.रवि पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय पुत्र रघुनन्दन पाण्डेय निवासी जदूह सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0
- 2.अमन पटेल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
- 3.पंकज सिंह उर्फ पप्पू पुत्र प्रेमचन्द्र पटेल निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
- 4.अनुज पटेल पुत्र छेदीलाल पटेल निवासी प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

अभियुक्त रवि पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय का आपराधिक इतिहास:

- 1.मु0अ0सं0 151/19 धारा 41/411/413 भादवि थाना कोत0 कर्वी चित्रकूट
- 2.मु0अ0सं0 483/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोत0 कर्वी चित्रकूट

- 3.मु0अ0सं0 486/20 धारा 41/ 411/ 413/ 467/468/471 भादवि
- 4.मु0अ0सं0 678/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोत0 कर्वी चित्रकूट
- 5.मु0अ0सं0 725/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोत0 कर्वी चित्रकूट
- 6.मु0अ0सं0 02/2021 धारा 302/394/120बी भादवि थाना फतेहगंज बांदा
- 7.मु0अ0सं0 05/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज जनपद बांदा
- 8.मु0अ0सं0 07/2021 धारा 41/411 भादवि थाना फतेहगंज जनपद बांदा
9. मु0अ0सं0 59/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पहाड़ी चित्रकूट

बरामदगी-

- (1).03 अदद तमंचे 315 बोर
- (2).06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- (3).01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

स्थान- नोनार मोड थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट, दिनांक 28.03.2024 की सुबह समय-05.00 बजे

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.03.2024 को थाना पहाड़ी में नियुक्त उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि नोनार मोड के पास कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिनके पास अवैध शस्त्र हैं। इस सूचना पर उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो 04 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे कि पुलिस टीम ने घेरकर पकड़ लिया। अभियुक्तों से पूछताछ करते हुये जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त रवि पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय पुत्र रघुनन्दन पाण्डेय निवासी जदूह सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0 के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा तथा अभियुक्त अमन पटेल पुत्र राजेन्द्र सिंह, पंकज सिंह उर्फ पप्पू पुत्र प्रेमचन्द्र पटेल व अनुज पटेल पुत्र छेदीलाल पटेल निवासीगण प्रसिद्धपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के कब्जे से 01-01 अदद तमंचा 315 बोर व 02-02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। अवैध गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त रवि पाण्डेय उर्फ आकाश पाण्डेय उपरोक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 59/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट तथा अवैध तमंचे व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त अमन पटेल, पंकज सिंह उर्फ पप्पू व अनुज पटेल उपरोक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 60/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी
- 2.उ0नि0 श्री मातादीन
- 3.उ0नि0(यू0टी0) श्री किशन कुमार
- 4.मुख्य आरक्षी चालक कृष्णपाल सिंह
- 5.आरक्षी राहुल कुमार
- 6.आरक्षी संतोष कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 15 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1. विकाश उर्फ चिक्कू पुत्र गल्हू निवासी पटा मजरा सरहट 2. शिवम मिश्रा पुत्र रामू प्रसाद निवासी सुभाषनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य द्वारा अभियुक्त आनंद द्विवेदी उर्फ भाउ पुत्र आशुतोष द्विवेदी निवासली कोठी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(iii) प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1.इन्देश 2. जितेन्द्र पुत्रगण जुगुल किशोर निवासीगण मोहिनी थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(iv). थानाधक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा अभियुक्त 1. रामाकान्त 2. उमेश पुत्रगण इन्द्रदेव पाण्डेय निवासीगण इटवां 4. दीनदयाल पुत्र साहिबलाल निवासी लोखरी 5. बुद्धराज पुत्र कल्लू निवासी चेहटा 6. धर्मपाल पुत्र झल्लू उर्फ चुन्नू 7. रज्जू 8. कुलदीप पुत्रगण नयाचन्द्रा 9. अकुश 10. पंकज पुत्र लवलेश 11. उमेश पुत्र शिवभवानी निवासीगण रामपुर 12. रामबाबू पुत्र

कल्लू 13. जानकी शरण पुत्र शिवभवन निवासीगण अमरपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव -2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण सिंह द्वारा टिटिहरा मोड़ से अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ रामू ठाकुर पुत्र ददू सिंह निवासी टिटिहरा रोड़ भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा तथा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 49/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- (1).01 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा
- (2).01 अदद तमंचा 315 बोर
- (2).02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण सिंह
- 2.उ0नि0 श्री बालकिशुन
- 3.आरक्षी नरेन्द्र सिंह
- 4.आरक्षी अखिलेश सिंह
- 5.महिला आरक्षी दीपिका सिंह

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i).प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी चालक रमेश चन्द्र, आरक्षी रोहित यादव द्वारा मु0अ0सं0 27/2024 धारा 452,346,504,323 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामबहोरे निवासी कोलहाई मजरा बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी विनोद कुमार द्वारा वाद सं0 858/2020 धारा 138एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री मातादीन थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही उ0नि0 (यू0टी0) श्री किशन कुमार द्वारा मु0नं0 3336/2016 धारा 4/21 खनिज अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अर्जुन पुत्र रुद्र प्रसाद निवासी ग्राम रमयापुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv).उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही शिवपूजन द्वारा मु0नं0 204/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त देवेन्द्र शुक्ला पुत्र जगन्नाथ शुक्ला निवासी इन्द्रानगर कबरई जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अभिराज सिंह पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

- (1).01 अदद तमंचा 315 बोर

(2).02 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1.उ0न0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र थाना पहाड़ी
- 2.मुख्य आरक्षी चालक कृष्ण पाल सिंह
- 3.आरक्षी नवीन कुमार